प्रेस नोट
दिनांक 27.02.2026

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी, प्राचीनतम वादों के त्वरित निस्तारण एवं दोषसिद्धि दर बढ़ाने हेतु अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ की गयी समीक्षा बैठकः–

गोण्डा। आज दिनांक 27.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय द्वारा पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में जनपद के समस्त पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर, शमन सेल एवं मॉनीटरिंग सेल के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर अधिकाधिक दोषसिद्धि प्राप्त करना तथा प्राचीनतम वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु ठोस कार्ययोजना बनाना रहा। बैठक के प्रारम्भ में जनपद के विभिन्न न्यायालयों–सेशन न्यायालय एवं अधीनस्थ (लोअर) न्यायालयों– में विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गयी। गंभीर अपराधों, महिला एवं बाल अपराधों, संगठित अपराध, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस एवं अन्य विशेष अधिनियमों से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु विशेष निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त प्राचीनतम वादों की सूची तैयार कर उनका श्रेणीवार वर्गीकरण किया जाए तथा साप्ताहिक समीक्षा की जाए। प्रत्येक न्यायालयीन तिथि पर संबंधित पैरोकार समय से न्यायालय में उपस्थित होकर अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित करें। गवाहों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय से सूचना, व्यक्तिगत संपर्क एवं आवश्यक समन्वय किया जाए। शमन एवं वारंट की तामीली को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए तथा तामीली की प्रगति का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए। केस डायरी, विवेचना अभिलेख, चिकित्सीय रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों का सुव्यवस्थित संधारण किया जाए ताकि न्यायालय में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। चिन्हित/संवेदनशील प्रकरणों में विशेष पैरवी कर शीघ्र एवं सुदृढ़ दोषसिद्धि सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा मॉनीटरिंग सेल को निर्देशित किया गया कि वह जनपद स्तर पर सभी महत्वपूर्ण प्रकरणों की दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा कर उनकी प्रगति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराए। साथ ही लंबित प्रकरणों में आ रही बाधाओं का विश्लेषण कर उनके त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए साथ ही शमन सेल को निर्देशित किया गया कि न्यायालयों से प्राप्त शमन/वारंट की तामीली में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा संबंधित थानों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तामीली सुनिश्चित की जाए। कोर्ट मोहर्रिरों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय से प्राप्त समस्त आदेशों/तिथियों का समय से अनुपालन कर संबंधित शाखाओं को सूचित करें। बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालयीन कार्यवाही में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं समन्वय ही दोषसिद्धि दर बढ़ाने की कुंजी है। जनपद गोण्डा पुलिस न्यायालयों में प्रभावी पैरवी, प्राचीनतम वादों के त्वरित निस्तारण एवं अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में नियमित समीक्षा, मॉनीटरिंग एवं जवाबदेही तय की जा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.02.2026
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर, पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–171/26 धारा 108 बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– शहबाज खाँ पुत्र इलियास को एल0बी0एस0 चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.02.2026 को थाना को0 नगर जनपद गोण्डा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत एक महिला नाजरा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी है। मृतका मूल रूप से जनपद जालौन की निवासी थी तथा लगभग 10 वर्ष पूर्व उसका विवाह थाना को0 नगर क्षेत्र के निवासी शहरूख उर्फ रियाज से हुआ था। सूचना पर तत्काल थाना को0 नगर पुलिस बल एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रकरण के सम्बन्ध में एक वीडियो भी संज्ञान में आया है, जिसमें मृतका द्वारा अपने मायके पक्ष को यह अवगत कराया जा रहा है कि उसके पति द्वारा उसे निरंतर प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पिता अलताब हुसैन पुत्र मो0 हुसैन निवासी ग्राम चकेला थाना कदौरा जनपद जालौन की लिखित तहरीर के आधार पर ससुरालीजनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। जिसमें पूर्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतका के पति शहरूख उर्फ रियाज पुत्र राजू उर्फ इलियास को गिरफ्तार कर भेजा गया था। जिसमें आज दिनांक 27.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 01 वांछित अभियुक्त शहबाज खाँ पुत्र इलियास को एल0बी0एस0 चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का नाम पता–

01. शहबाज खाँ पुत्र इलियास निवासी कटहाघाट गजनी आरा मशीन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–171/26 धारा 108 बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर।
02. हे0का0 अभय प्रताप यादव
03. का0 विपिन यादव
04. का0 शैलेश चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.02.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. चन्दन कुमार मिश्रा पुत्र हरिशरण मिश्रा, 02. बृजेश मिश्रा उर्फ ननकऊ पुत्र राम केवल मिश्रा को हुजूरपुर रोड स्थित सेमरा बाजार के बरबटपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.02.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में जो आपस में संगे भाई पट्टीदार है के बीच जमीन के कब्जेदारी को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। घटना में 03 लोग सुभाष चन्द्र मिश्रा, विश्वास चन्द्र मिश्रा व आकाश मिश्रा घायल हो गए जिन्हे पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 पारस नाथ मिश्रा जी की मृत्यु हो गयी, प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज में मृतक के संगे भाई अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा समेत 04 नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 को0 कर्नलगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। जिसमें थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व में 05 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा आज दिनांक 27.02.2026 को प्रकाश में आए 02 आरोपी अभियुक्तों–01. चन्दन कुमार मिश्रा पुत्र हरिशरण मिश्रा, 02. बृजेश मिश्रा उर्फ ननकऊ पुत्र राम केवल मिश्रा को हुजूरपुर रोड स्थित सेमरा बाजार के बरबटपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. चन्दन कुमार मिश्रा पुत्र हरिशरण मिश्रा नि0 ग्राम सुदईपुरवा मौजा दत्तनगर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. बृजेश मिश्रा उर्फ ननकऊ पुत्र राम केवल मिश्रा नि0 ग्राम सुदईपुरवा मौजा दत्तनगर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थाना कर्नलगंज।
02. व0नि0 बृजराज प्रसाद।
03. उ0नि0 मो0 सरफराज खान।
04. का0 हिमांशु प्रजापति।
05. का0 लालूराम।

मीडिया सेल, गोण्डा।